न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 609 सन 2019

अनवान :–

1. रविदत बैनीवाल पुत्र सुभाष उर्फ सुभाषचन्द जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मोहित बैनीवाल नाबालिग पुत्र सुभाष उर्फ सुभाषचन्द जरिये संरक्षिका माता शकुन्तला पत्नी सुभाष उर्फ सुभाषचन्द जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. शकुन्तला पत्नि सुभाष उर्फ सुभाषचन्द जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. जगदीश पुत्र सहीराम जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर ।
5. राजेन्द्र पुत्र सहीराम जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. सहीराम पुत्र चन्द्रभान जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. आरती पुत्री सुभाष उर्फ सुभाषचन्द्र पत्नि भूपेन्द्रसिह जाति जाट निवासी गिगोरानी तहसील व जिला सिरसा
3. ज्योति पुत्री सुभाष उर्फ सुभाषचन्द पत्नी विजेन्द्र जाति जाट निवासी गिगोरानी तहसील व जिला सिरसा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 19/03/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 4 बांरानी के खाता संख्या 138/132 की कुल 2.7820हैक व रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 151/153 की कुल 9.7150हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा सहीराम पुत्र चन्द्रभान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी के दादा के तीन पुत्र वादी संख्या 4 ,5 एवं सुभाष है सुभाष उर्फ सुभाषचन्द पुत्र सहीराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिस वादी संख्या 1 ता 3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है इसप्रकार सहीराम के नाम से दर्ज भूमि उसके में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है

प्रतिवादी संख्या 2 ,3 वादी की बहने है प्रतिवादी संख्या 2, ता 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के

खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता मनफुल के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ,जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 138/132 की कुल 2.7820हैक व रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 151/153 की कुल 9.7150हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा सहीराम पुत्र चन्द्रभान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी के दादा के तीन पुत्र वादी संख्या 4 ,5 एवं सुभाष है सुभाष उर्फ सुभाषचन्द पुत्र सहीराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिस वादी संख्या 1 ता 3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है इसप्रकार सहीराम के नाम से दर्ज भूमि उसके में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है

प्रतिवादी संख्या 2 ,3 वादी की बहने है प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आरबीजे 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 138/132 की कुल 2.7820हैक व रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 151/153 की कुल 9.7150हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

रोही मौजा चक 4 बारानी की जमाबन्दी सम्वत 2058 के अनुसार वाद भूमि चन्द्रभान पुत्र पतराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा चन्द्रभान पुत्र पतराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा चन्द्रभान पुत्र पतराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,2 ता 3 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,2 ता ,3 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लियाहै उसी के अनुसार वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 138/132 की कुल 2.7820हैक व रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 151/153 की कुल 9.7150हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है के रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 138/132 के प0न0 370/384(9) के किला न0 2/0.2530 ,प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी एवं शेष प0न0 370/384(9) के किला न0 1 व प0न0 369/384(10) के किला न0 3 ता 8 ,13 ,14 प्रत्येक/0.2530 , 15/0.252हैक तथा रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 151/153 की कुल 9.7150हैक भूमि वादी संख्या 1 ता 3 को 1/3 हिस्सा , वादी संख्या 4 ,5 का 2/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलस्त 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19/03/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रविदत बैनीवाल पुत्र सुभाष उर्फ सुभाषचन्द जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मोहित बैनीवाल नाबालिग पुत्र सुभाष उर्फ सुभाषचन्द जरिये संरक्षिका माता शकुन्तला पत्नी सुभाष उर्फ सुभाषचन्द जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. शकुन्तला पत्नि सुभाष उर्फ सुभाषचन्द जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. जगदीश पुत्र सहीराम जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर ।
5. राजेन्द्र पुत्र सहीराम जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. सहीराम पुत्र चन्द्रभान जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. आरती पुत्री सुभाष उर्फ सुभाषचन्द्र पत्नि भूपेन्द्रसिह जाति जाट निवासी गिगोरानी तहसील व जिला सिरसा
3. ज्योति पुत्री सुभाष उर्फ सुभाषचन्द पत्नी विजेन्द्र जाति जाट निवासी गिगोरानी तहसील व जिला सिरसा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 609 सन 2019 निर्णय दिनांक– 19/03/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 138/132 की कुल 2.7820हैक व रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 151/153 की कुल 9.7150हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है के रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 138/132 के प0न0 370/384(9) के किला न0 2/0.2530 ,प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी एवं शेष प0न0 370/384(9) के किला न0 1 व प0न0 369/384(10) के किला न0 3 ता 8 ,13 ,14 प्रत्येक/0.2530 , 15/0.252हैक तथा रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 151/153 की कुल 9.7150हैक भूमि वादी संख्या 1 ता 3 को 1/3 हिस्सा , वादी संख्या 4 ,5 का 2/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/03/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)